(113)

संख्याः 37 /XXVI/दो(18)/2010 टी0सी0–1

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अनुपूरक बजट की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3298/3–ले0–1(1)/बजट/2011–12, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र सं0–209/XXVI (1)/2011, दिनांकः 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–7 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–00–आयोजनेत्तर–001– निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार मद संख्या–16 में ₹ 500 हजार व मद संख्या–18 में ₹ 100 हजार अर्थात कुल धनराशि ₹ 600 हजार (रू0 छः लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1– धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्कतानुसार ही किश्तों में किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष भर का कुल व्यय भार उक्त स्वीकृत धनराशि से अनाधिक रहेगा तथा व्यय की फ्रेजिंग त्रैमास के अनुसार इस प्रकार की जाएगी कि त्रैमासवार व्यय तद्नुसार निर्धारित अनुमान से अनाधिक ही रहें।

2– वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

5– संलग्न में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं मद संख्या–18 प्रकाशन की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 37 (1)/XXVI/दो (18)/2010 टी0सी0–1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 शाही)
अनुसचिव।

शासनादेश सं0–...32...(1)/XXVI/दो(18)/2010, टी0सी0–1 दि0 18...जनवरी, 2012 का संलग्नक।

अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में)
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा साँख्यिकी,	
02–सर्वेक्षण तथा साँख्यिकी–**आयोजनेत्तर,**	आयोजनेत्तर
001–निदेशन तथा प्रशासन,	
03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान,	
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान,	500
18– प्रकाशन,	100
योग	600

(₹ छः लाख मात्र)

(पी0एस0 शाही)
अनुसचिव।